# ।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर।।

## प्रैस–नोट

## दिनांकः– 20.04.2017

## फरार गौतस्कर को किया गिरफ्तार

1. **थाना नगरः–** दिनांक 04 फरवरी 2015 को मुखबिर की सूचना पर तत्कालीन थानाधिकारी श्री जगदीशसिंह उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा जंगल गांव रानौता के पास पहुॅच कर नाकाबन्दी की तो लक्ष्मणगढ की तरफ से एक टाटा पिकअप बिना नम्बरी आती हुई दिखाई दी जिसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया। तो गौतस्कर अपने आप को पुलिस से घिरा देख टाटा को मौके पर ही छोड पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर करते हुये भागने लगे जिस पर पुलिस द्वारा दो गौतस्करों को गिरफतार कर लिया था। व इनके अन्य दो साथी अन्धेरे व खडी फसल का फायदा उठाते हुये जंगल की तरफ भाग गये थे। पुलिस द्वारा टाटा गाडी को चैक किया तो उसमें में 4 गाय, 2 बछडा व 1 बछिया जीवित रस्सियों से निर्दयतापूर्वक बंधी हुई तथा 2 गाय व 1 बछडा मृत अवस्था में मिले एवं टाटा गाडी की केविन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराव मिली थी। गिरफतार किये गये दोनों गौतस्करों की तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 1 अवैध कट्टा 315 बोर मय 2 खाली व 1 जिन्दा कारतूस जप्त किये गये थे। पुलिस द्वारा जीवित गौवंशों को मुक्त कराकर जरखोड गौशाला के सुपुर्द किया गया था। टाटा गाडी, अवैध शराव तथा अवैध कट्टा व कारतूसों को जप्त कर थाने पर मु0नं0 31/15 धारा 332, 353, 307 आईपीसी एवं 3, 5, 8 आरबीए एक्ट तथा 16/54 आवकारी एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। श्री पूरनसिंह स0उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के फरार गौतस्कर **1. मौसम उर्फ सुक्का पुत्र नूरू उर्फ पऊआ जाति मेव निवासी घाटमीका थाना पहाडी** को गिरफतार किया गया है।

# चोरी की वाईक रखने के मामले में आरोपी पुलिस गिरफ्त में

1. **थाना उद्योगनगरः–** सम्पति सम्बन्धि मामलों में आरोपियों की गिरफतारी व चोरी के समान की जप्ती के लिए चलये गये अभियान के दौरान दिनांक 07.02.2014 को तत्कालीन थानाधिकारी थाना उद्योगनगर श्री लखनसिंह खटाना पु0नि0 द्वारा एफसीआई गोदाम के पास एक मोटरसाईकिल को चैक किया तो मोटरसाईकिल चालक रविन्द्र पुत्र रज्जनसिंह जाति जाट निवासी तीनथोक जघीना थाना उद्योगनगर के पास मोटरसाईकिल के कोई कागजात नही होने पर मोटरसाईकिल को 207 एम0वी0 एक्ट में जप्त कर जांच के दौरान उक्त उक्त चोरी की मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पलेन्डर प्लस पर फर्जी नम्बर प्लेट (यूपी 80 एआर 6164) लगाकर चलाते हुये पाये जाने के आरोपर में दिनांक 31.05.2014 को आरोपी रविन्द्र के विरूद्ध थाना उद्योगनगर पर मु0नं0 160/14 धारा 379, 411, 473 भा0द0सं0 में पंजीवद्व किया गया था। श्री श्यामसुन्दर स0उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. रविन्द्र पुत्र रज्जनसिंह जाति जाट निवासी तीनथोक जघीना थाना उद्योगनगर** को गिरफतार कर आरोपी से गहनता पूर्वक पूछताछ जारी है।

# ट्रैक्टर को तेज व लापरवाही से चलाने के आरोप में चालक गिरफ्तार

# तूडी से भरे ट्रैक्टर–ट्रोली को किया जप्त

1. **थाना सीकरीः–** श्री रतनसिंह स0उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान कस्वा सीकरी में ट्रैक्टर को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये आमजन के जीवन को संकट में डालने के आरोप में ट्रैक्टर चालक **1. दीन मौहम्मद पुत्र मगरा जाति मेव निवासी बडौली थाना लक्ष्मनगढ जिला अलवर** को गिरफतार कर तूडी से भरे ट्रैक्टर–ट्रोली फार्मट्रेक 60 बिना नम्बरी को जप्त कर थाने पर मु0नं0 92/17 धारा 279, 336 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्व किया गया है।

# स्थाई वारंटी बन्द हवालात

जिला पुलिस द्वारा वारंटी/स्थाई वारंटियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक स्थाई वारंटी को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना जुरहराः–** श्री खैमसिंह स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव घौसिंगा से स्थाई वारंटी **1. अकरम पुत्र नसरू जाति मेव निवासी घौसिंगा थाना जुरहरा** को गिरफ्तार किया गया है।

# सटोरिया बन्द हवालात

## 245 रूपये बरामद

1. **थाना खोहः–** श्री दुर्गसिंह स0उ0नि0 द्वारा गांव हींगोटा से **1. जमशेद पुत्र लल्लू जाति मेव निवासी हींगोटा थाना खोह** को 245 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 53/17 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

# शराबी वाईक चालक पुलिस पकड में

1. **थाना बयानाः–** श्री श्यामलाल हैड कानि0 द्वारा कस्वा बयाना से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक **1. राधेश्याम पुत्र शंकरसिंह जाति जाटव निवासी चकनावली थाना कुम्हेर** को गिरफतार कर मोटरसाईकिल को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

# शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 3 जनें गिरफ्तार

1. **थाना उद्योगनगरः–** श्री सुरेशकुमार उ0नि0 द्वारा वैकल्पिक मार्ग से 1. गंगाराम पुत्र मोतीराम जाति लोधा निवासी तीनथोक जघीना थाना उद्योगनगर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

**2. थाना कुम्हेरः—** श्री मुमताज अहमद उ0नि0 द्वारा बाबैन मोड कस्वा कुम्हेर से 1. नरेन्द्र पुत्र लक्ष्मीकान्त जाति ब्राह्मण निवासी इन्द्रा चौक कस्वा कुम्हेर व 2. गुरूदीपसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति बघेल निवासी सौंख रोड कस्वा कुम्हेर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

## शान्ति भंग करने आरोप में 9 जनों को किया गिरफ्तार

1. **थाना हलैनाः—** श्री शेरसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा हलैना से 1. मौनू पुत्र जगदीश जाति जाट, 2. गजेन्द्र पुत्र बबलू उर्फ ओमप्रकाश जाति जोगी निवासियान सरसैना थाना हलैना व 3. कैलाश पुत्र जगदीशप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी कस्वा जुरहरा को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना वैरः—** श्री धनपतसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा वैर से 1. राहुल पुत्र महेन्द्र जाति खटीक निवासी नयावास कस्वा वैर व 2. नैमी पुत्र पोले जाति हरिजन निवासी निठार थाना भुसावर को गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना सेवर—** श्री रामेश्वरसिंह हैड कानि0 द्वारा गांव महारासर से 1. फूलसिंह पुत्र मोहनलाल जाति मीना निवासी महारासर थाना सेवर को गिरफ्तार किया गया है।

4. **थाना बयानाः—** श्री श्यामलाल हैड कानि0 द्वारा कस्वा बयाना से 1. जीतेश पुत्र मोहरसिंह जाति जाटव निवासी चकनावली थाना कुम्हेर को गिरफ्तार किया गया है।

5. **थाना डीगः—** श्री विजयकुमार हैड कानि0 द्वारा थाने के सामेन से 1. महेश पुत्र छीतरसिंह जाति ठाकुर निवासी घरवारी थाना डीग को गिरफ्तार किया गया है।

6. **थाना रूपवासः—** श्री अभिजीत कुमार उ0नि0 द्वारा कस्वा रूपवास से 1. राकेश पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी जाजऊ थाना फतेहपुर सीकरी जिला आगरा को गिरफ्तार किया गया है।

## 109 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **109** वाहन चालकों के खिलाफ

कार्यवाही की गई हैं। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होंने वाली सडक दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ऑवरलोड कार्यवाही में 59 वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सडकों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी 12 वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, प्रैसर हॉर्न, लालबत्ती लगाना, नो पार्किंग आदि के आरोप में 38 वाहन चालकों के विरूद्व कार्यवाही की गई है।